(46)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग / 3982-II-15

प्र.कं. / 2015 पुनरीक्षण

राजकुमारी पुत्री अच्छेलाल सिंह पत्नी सबल सिंह निवासी ग्राम बिलहरका तह. नरैनी जिला बांदा (उ.प्र.)

...... आवेदक

श्री मुकेश भार्गव - एडवोकेट द्वारा आज दि. 14-12-15 को प्रस्तुत
14/12/15
रीडर/ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

WB
मुकेश भार्गव
14-12-15 एडवोकेट
ग्वालियर

विरूद्ध

1. जय सिंह पुत्र सरदार सिंह
2. लाला पहलवान सिंह पुत्र सरदार सिंह
3. छोटी बेवा सरदार सिंह
4. मिथला पुत्री सरदार सिंह पत्नी अशोक सिंह
5. लीला पुत्री सरदार सिंह पत्नी दिनेश सिंह
6. राजा पत्नी बल्देव सिंह पुत्री सरदार सिंह समस्त निवासीगण ग्राम बिलहरका तह. नरैनी जिला बांदा (उ.प्र.)

.... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर/ गौरिहार जिला छतरपुर म.प्र. द्वारा प्रकरण कमांक 108/अपील/ 2003–04 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त योग्य है।

2– यह कि, वादग्रस्त भूमि कुल किता 10 कुल रकवा 5.843 हे. में हिस्सा 1/4 आराजी के 1/3 भाग के अभिलिखित भूमिस्वामी स्व. अच्छेलाल सिंह पुत्र

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3982-दो/2015 जिला छतरपुर राजकुमारी विरूद्ध जयसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 108/अपील/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 14-12-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

4/2/2019

3

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

4/02/19

(आर.के. जैन)
सदस्य